

07/06/24

पत्रावली वेशा दुई) वरीक उभयपक्ष
उपण) पत्रावली वारी आदिशाथ वेश
दुई) उभयपक्षों की बखत व प्रलुन
दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय
इस उभयपक्षकारान को जरिए अस्था
निषेधाज्ञा ले बाबंद किया जाता है कि
बादगुस्त आरजी ख.क. 379/2 रकबा
1.04 है, 383/1, रकबा 0.69 है. ख.क.
383/2 रकबा ~~1.04~~ है छ.क. 384/
रकबा 1.37 है, छ.क. 385/2 रकबा
1.01 है स्थित ग्राम सोरवाडा, तह
जयपुर तथा ख.क. 956/1, रकबा
4.51 है अवस्थित ग्राम कालवाड
तह कालवाड पर मूल बाद के
निस्तारण तक मांके तथा रिपोर्ट
की प्रथा स्थिती बनाये रखें।
विस्तृत निगमि पुथक ले लिखा
जाऊट शामिल भिसेल रहे।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम


सहायक ~~क्लर्क~~
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

बनाम प्रियकांक्षि
धेन्ता लिड

मुकदमा संख्या/वर्ष

पं. 127/2022 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	07/06/24	<p>निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को सरे इंजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो के पत्र नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।</p>	
		<p> सहायक क्लर्क जयपुर शहर प्रथम</p>	